आकाशवाणी

क्षेत्रीय समाचार एकांश

देहरादून (उत्तराखण्ड)

गुरुवार 03.04.2025

समय 07.20

पहले मुख्य समाचार :–

- लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 पारित, विधेयक के पक्ष में 288 और विधेयक के खिलाफ 232 वोट पड़े।
- उत्तराखंड में कुट्टू के आटे की बिक्री केवल सील बंद पैकेट में होगी, बिक्री के लिये वैध खाद्य लाइसेंस होना अनिवार्य।
- राज्य के सहकारी बैंकों को वित्तीय वर्ष 2024–25 में 250 करोड़ रुपए का लाभ हुआ।
- 'फिट उत्तराखंड अभियान' के लिये अगले पन्द्रह दिनों के भीतर कार्ययोजना बनाने के निर्देश।

वक्फ (संशोधन) 2025

लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 पारित हो गया है। इस विधेयक के पक्ष में 288 और विधेयक के खिलाफ 232 वोट पड़े। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इसका मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से कोई लेना–देना नहीं है और यह केवल वक्फ बोर्डों से संबंधित संपत्तियों से संबंधित है। उन्होंने कहा कि सरकार वक्फ बोर्डों को समावेशी और धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कानून किसी मस्जिद के प्रबंधन के लिए नहीं है। उन्होंने विधेयक को भविष्योन्मुखी बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य किसी की संपत्ति जब्त करना नहीं है।

श्री रिजिजू ने कहा कि मौजूदा विधेयक के अनुसार वक्फ बोर्डों में विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा। उन्होंने विपक्ष पर विधेयक को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया।

गृह मंत्री अमित शाह ने बहस में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि कोई भी गैर–मुस्लिम वक्फ में नहीं आएगा।

नई गाइडलाइन

उत्तराखंड सरकार ने नवरात्रि के दौरान व्रत में इस्तेमाल होने वाले कुट्टू के आटे की बिक्री को लेकर सख्ती बरती है। अब यह आटा केवल सील बंद पैकेट में ही बेचा जा सकेगा और इसके लिए वैध खाद्य लाइसेंस होना जरूरी होगा।

स्वास्थ्य सचिव और खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि कुट्टू के आटे की बिक्री को लेकर नये दिशा–निर्देश जारी किये गये है। इसके तहत खाद्य कारोबारियों को साफ हिदायत दी गई है कि बिना लाइसेंस और खुले में कुट्टू का आटा बेचने पर कार्रवाई की जाएगी।

अब कुट्टू के आटे की ब्रिक्री के लिये पैकेट पर निर्माण तिथि, पैकेजिंग और एक्सपायरी तिथि के साथ विक्रेता का लाइसेंस नंबर स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा। साथ ही, सभी कारोबारियों को खरीद–बिक्री का रिकॉर्ड लिखित रूप में रखना होगा।

गौरतलब है कि राज्य के विभिन्न जिलों में कुट्टू के आटे के छह सैंपल जांच में फेल पाए गए हैं। देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंहनगर जिलों से लिए गए नमूनों में मायकोटॉक्सिन और फंगस जैसे हानिकारक तत्व पाए गए।

इन मिलावटी उत्पादों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

समीक्षा

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने हरिद्वार में कुंभ 2027 और चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। कैंप कार्यालय मायापुर में आयोजित इस बैठक में मेला अधिकारी कर्मेन्द्र सिंह और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्य सचिव ने कहा कि कुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर योजनाएं बनाई जा रही हैं, जो हरिद्वार शहर और कुंभ नगरी के हित में होंगी। इस संबंध में अगले एक सप्ताह में शासन स्तर पर बैठक की जाएगी, जिसमें साधु–संतों और महात्माओं से विचार–विमर्श कर आगे की कार्यवाही की जाएगी।

श्री बर्द्धन ने बताया कि चारधाम यात्रा की शुरुआत में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, इसलिए अन्य राज्यों और प्रमुख व्यक्तियों से अनुरोध किया गया है कि वे इस दौरान तीर्थयात्रा से परहेज करें। सरकार यात्रा के सुचारु संचालन के लिए पूरी व्यवस्था कर रही है।

पत्रकारों से बातचीत में मुख्य सचिव ने कहा कि चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर अधिकारी जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और व्यवस्थाएं लगातार सुधारी जा रही हैं। पूर्ण कुंभ को लेकर साधु–संतों से विचार–विमर्श के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।

सहकारी बैंकों का लाभ

राज्य के सहकारी बैंकों को पिछले वित्तीय वर्ष में 250 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि वर्ष 2017 में अधिकतर जिला सहकारी बैंक घाटे में थे और आज प्रदेश के सभी जिलों के सहकारी बैंक लाभ की स्थिति में हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश भर के सहकारी बैंकों को 250 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ है और जिलों की बैंक की 280 शाखाएं लाभ की स्थिति में है। डाक्टर रावत ने बताया कि प्रदेश में अभी 49 बैंक शाखाएं घाटे में चल रहे हैं इनमें से अधिकतर शाखाएं कुछ वर्ष पहले ही खुली है और आने वाले दो वर्षं में ये बैंक भी लाभ की स्थिति में आ जाएंगे।

फिट उत्तराखंड अभियान

'फिट उत्तराखंड अभियान' के लिये अगले पन्द्रह दिनों के भीतर कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये गये हैं। खेल, स्वास्थ्य, आयुष, खाद्य, शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग मिलकर इसकी कार्ययोजना तैयार करेंगे। देहरादून में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि फिट उत्तराखंड अभियान राज्य और जिला स्तर पर हर महीने वृहद स्तर पर चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 'ईट राइट बी फिट' के तहत आम जनता तक चीनी, नमक और तेल का सीमित उपयोग करने का संदेश पहुंचाने के निर्देश दियें। अभियान को स्कूलों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और ग्राम स्तर तक फैलाने को भी कहा गया। श्री धामी ने स्कूलों और कॉलेजों में नियमित स्वास्थ्य कैंप लगाने के साथ ही मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए भी लोगों को जागरूक करने पर भी जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के रजतोत्सव कैलेंडर में इस अभियान को शामिल किया जाए और युवा एवं महिला मंगल दलों को जोड़कर गांवों तक स्वास्थ्य, खानपान की आदतों और शारीरिक गतिविधियों के प्रति जागरूकता फैलाई जाए।

श्रमिक हित

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि श्रमिकों का हित सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी योजनाओं को एक छत के नीचे लाया जाए, ताकि पात्र श्रमिकों को योजनाओं का समुचित लाभ मिल सके।

सचिवालय में उत्तराखण्ड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न योजनाओं को एक साथ जोड़कर लाभार्थी को अधिकतम लाभ दिया जाए और उनकी नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने श्रमिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया को और सरल बनाने, उनके बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने और कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान देने को कहा।

बैठक में बताया गया कि उत्तराखंड में अब तक करीब 30 लाख श्रमिकों का पंजीकरण हुआ है, जिनमें 17 लाख महिलाएं और 13 लाख पुरुष हैं। इनमें से 20 लाख श्रमिकों का सत्यापन पूरा हो चुका है, जिनमें ढाई लाख निर्माण श्रमिक और साढे सत्रह लाख अन्य श्रेणियों के कामगार हैं।

निर्देश

प्रदेश में ट्यूबवेल पर बिजली व्यय कम करने के लिए खाली स्थानों की मैपिंग कर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सचिवालय में विश्व बैंक सहायता प्राप्त अर्ध–शहरी क्षेत्रों में चल रहे उत्तराखण्ड जलापूर्ति कार्यक्रम (2018–2025) की 12वीं उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने यह निर्देश दिये।

उन्होंने कहा कि ट्यूबवेल लगाने से पहले भूजल स्तर की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाए और संकटग्रस्त क्षेत्रों की रिपोर्ट जल संस्थान और पेयजल निगम के पास उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने जल गुणवत्ता, निरंतर जलापूर्ति, ऊर्जा दक्षता, ग्राहकों की संतुष्टि और शिकायत निवारण तंत्र को बेहतर बनाए रखने के लिए 'गुड प्रैक्टिसेज' अपनाने पर जोर दिया।

बैठक में बताया गया कि एक हजार बयालीस करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में 834 करोड़ रुपये विश्व बैंक और 208 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। यह योजना देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंहनगर के 22 शहरों में लागू है, जिसका उद्देश्य 12 मीटर न्यूनतम प्रेशर के साथ रोजाना 16 घंटे जलापूर्ति और प्रति व्यक्ति 135 लीटर जल देना है। योजना के अंतर्गत चार लाख पैंतीस हजार लोगों को लाभ देने का लक्ष्य है।

एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर––

वक्फ बिल लोकसभा में पारित खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण पत्र का शीर्षक है– वक्फ विधेयक को लोकसभा की मंजूरी। इसी ख़बर पर हिंदुस्तान लिखता है – पहली बाधा पार, सदन में रात दो बजे मत विभाजन के बाद फैसला। इसी खबर पर राष्ट्रीय सहारा लिखता है – वक्फ बिल लोकसभा से पारित, 12 घंटे की मैराथन बहस के बाद 232 के मुकाबले 288 वोट से हुई जीत।

प्रदेश में कुट्टू के आटे की खुली बिक्री पर रोक की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है– एक्शन में धामी सरकार, आटे के पैकेट पर पिसाई, पैकिंग और एक्सपायरी डेट लिखना होगा अनिवार्य।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 26 प्रतिशत टैरिफ लगाने की खबर भी आज सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित है। हिन्दुस्तान सामचार पत्र लिखता है– टैरिफ लागू करने के बाद यूरो के मुकाबले अमेरिकी डालर में गिरावट आई।

देहरादून के बल्लीवाला, बल्लूपुर व आईएसबीटी फ्लाईओवर पर हाईकोर्ट द्वारा मांगे गये दुर्घटनाओं का ब्योरा सभी समाचार पत्रों की ख़बर में है। हिंदुस्तान सामचार पत्र ने उच्च न्यायालय के हवाले से शीर्षक दिया है– दून के तीन फ्लाईओवर को टू लेन करने वाले अफसरों पर केस करें। अमर उजाला लिखता है– हाईकोर्ट सख्त, फोर लेन को टू लेन बनाने का निर्णय लेने वाले अफसरों के नाम तलब करें।